संख्या-24/2015/847/78-1-2015-107आई0टी0/2015

प्रेषक,

राम बहादुर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 लखनऊ: दिनांक: 10 अगस्त, 2015

विषय: उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स मैन्यूफैक्चरिंग नीति-2014 के अन्तर्गत इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट सिस्टम कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 लखनऊ (यूपी डेस्को) के पत्र संख्या-1852, दिनांक 16-07-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्य पाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में इलेक्टानिकी प्रणाली डिजाइन विनिर्माण क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने हेतु विश्व स्तरीय मूल संरचना उपलब्ध कराने के लिए ग्रेटर नोएडा में इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स की स्थापना हेतु रू0 24,7100000/- (रूपये चौबीस करोड इक्हत्तर लाख मात्र) की धनराशि लोन के रूप में यूपी डेस्को, लखनऊ को स्वीकृत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उरोक्त व्यय अत्यन्त आवश्यक एवं अपरिहार्य है तथा इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्ष-4859 में धनराशि उपलब्ध नहीं है। अतएव श्री राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश राज्य आकस्मिकता निधि से रू0 24,7100000/- (रूपये चौबीस करोड इक्हत्तर लाख मात्र) की धनराशि को अग्रिम आहरित करने की स्वीकृति भी प्रदान करते हैं। उक्त अग्रिम प्रथम अनुपूरक के माध्यम से उसकी प्रतिपूर्ति की जायेगी। स्वीकृत धनराशि दिनांक 31-03-2016 तक प्रत्येक दशा में व्यय की जानी आवश्यक है।

3- उक्त धनराशि जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत किया जा रहा है उसे किसी दशा में अन्य किसी प्रयोजन में व्यय नहीं की जायेगी। ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या अन्य समक्ष अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो इसके लिए पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त व्यय किया जायेगा।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 डेस्को, लखनऊ द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। उद्योग निदेशक, उ0प्र0 कानपुर, आहरण तथा वितरण का पूरा लेखा-जोखा अपने यहां भी रखेंगे।

5- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रथमत: 8000-राज्य की आकस्मिकता निधि-201-समेकित निधि से विनियोजन तथा अन्तत: आय-व्ययक की अनुदान संख्या-7 आयोजनागत के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-"6859-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योगों के लिये कर्ज-02-इलेक्ट्रानिक्स-800-अन्य कर्ज-03 इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स की स्थापना-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6-450/दस/2015, दिनांक-08 अगस्त, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(राम बहादुर सिंह)
संयुक्त सचिव।

वित्त विभाग का पृष्ठांकन
संख्या-सी0एफ0स0-16/ई-6-450/दस/2015, दिनांक 08 अगस्त, 2015

प्रतिलिप महालेखाकार(रिपोर्ट ब्रांच) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,

(अविनाश चन्द्र द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।

संख्या-24/2015/847(1)/78-1-2015 तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
5- सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
7& निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
8- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ, उ0प्र0।
9- संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
10- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, यूपीयूनिट लखनऊ।
11- प्रबन्ध निदेशक, यूपी डेस्को, लखनऊ ।
12- राज्य समन्वयक, सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स लखनऊ।
13- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनु0-4
14- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/लघु उद्योग अनु0-3/औद्योगिक विकास अनु0-2/आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2
15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र प्रसाद भारती)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।